न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 12/2025 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/50

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **सुकेत** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

आदिल खां पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी बस स्टेण्ड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)
राजस्थान गुण्डा
नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 26/02/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **सुकेत** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **आदिल खां पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी बस स्टेण्ड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जषीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	206/14.06. 2024	13 आरपीजीओ	185/28.06.2024	100 रू जुर्माना 12.08.2024
2.	318/17.10.2024	13 आरपीजीओ	323/19.11.2024	100 रू जुर्माना 27.11.2024

अतः **आदिल खां पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी बस स्टेण्ड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

गैरसायल ६ आदिल खां पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी बस स्टेण्ड **सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई।

उक्त गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। बाद तामील नोटिस प्राप्त हुआ गैरसायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त संबध मे कोई सुनवाई नही चाहता है। अतः थानाधिकारी सुकेत द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण में उपस्थित गैरसायल स्वंय द्वारा इस्तगासा में वर्णित 13 आरपीजीओ के 2 अभियोग को स्वेच्छिक रूप से स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष को सुना

अति० जिला कलक्टर
कोटा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। गेरसायल द्वारा प्रकरण इस्तगासा में वर्णित अभियोग उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकार किया है। इस्तगासा में वर्णित उक्त 13 आरपीजीओ के 2 अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव अर्थदण्ड से दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ : प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव अर्थदण्ड से दण्डित 0 की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **आदिल खां पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी बस स्टेण्ड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा** को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **15** दिन के लिऐ **थाना सुकेत** जिला कोटा की सीमा से **जिला झालावाड** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी थानाधिकारी, **थाना कोतवाली झालावाड जिला झालावाड** को प्रस्तुत करेगा। **थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड जिला झालावाड** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **15** दिवस की निष्कासन अवधि **15** दिन पश्चात अर्थात **दिनांक** 23/3/2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **सुकेत** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **आदिल खां पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी बस स्टेण्ड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा** को दिनांक 23/3/2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना **सुकेत** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से **थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड जिला झालावाड** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड जिला झालावाड** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **सुकेत** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र **सुकेत** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक 26/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा
अति॰ जिला कलक्टर
कोटा